केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, बी विंग, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

संचिका सं. CICOM/R/2017/01122 दिनांक 12.09.2017

सेवा में,

श्री सर्वेश कुमार सिंह,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका गैर दिनांकित आर.टी.आई. आवेदन जो केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 08.09.2017 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 163220) तथा दिनांक 11.09.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में वांछित सूचना निम्नानुसार है:-

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं का विस्तृत विवरण सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 2 (च) में वर्णित है जो कि लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर उपलब्ध है, का अवलोकन करें । इसके अतिरिक्त आपके आवेदन से संबंधित अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि यदि किसी कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो अगले 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग में प्रथम अपील दाखिल करें। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तब केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों/कार्यालयों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के अंतगर्त कार्यरत लोक प्राधिकरणों/कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील प्रपत्र के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

चूंकि आपका आवेदन झारखंड विद्युत बोर्ड जो कि झारखंड राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग है, से संबंधित है इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सूचना आयोग या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय/उपक्रम केन्द्रीय सूचना आयोग के न्यायायिक/प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से बाहर हैं इसलिए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों से संबंधित आर.टी.आई. आवेदनों पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त कांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066, दूरभाष सं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

अशोक कु. शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल